न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 24 / 2020(2020 / 00036)

अनवान : –

1. भागीरथ पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी सरदारपुराबास तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. हरिसिंह पुत्र मलाराम जाति जाट निवासी सरदारपुराबास तहसील भादरा।
2. फुलादेवी पत्नी हरिसिंह जाति जाट निवासी सरदारपुराबास तहसील भादरा।
3. शारदा पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी सरदारपुराबास तहसील भादरा।
4. संतोष पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी सरदारपुराबास तहसील भादरा।
5. राजबाला पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी सरदारपुराबास तहसील भादरा।
6. सुमन पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी सरदारपुराबास तहसील भादरा।
7. ओबीसी बैंक शाखा गांधीबड़ी जरिये शाखा प्रबंधक।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री मुंशीराम गोस्वामी वादी
श्री सुरजीत बिजारणियां प्रतिवादीगण

निर्णय   दिनांक: 17-09-20

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 8 एसडीआर के वर्तमान खाता संख्या 42 / 47 के मु0न0 66 के किला न0 6 / 1, 7, 8, 14 ता 17, 24, 25 मुरब्बा न0 69 के किला न0 5, 6, 15 कुल 2.505 है0 नहरी में प्रतिवादी हरिसिंह के नाम 93–1 / 2 हिस्सा व चक 9 एसडीआर के खाता संख्या 65 / 63 के मुरब्बा न0 3 के किला न0 21 ता 24, मुरब्बा न0 10 के किला न0 1 ता 4, 7 ता 10 कुल 2.758 है0 नहरी में प्रतिवादी हरिसिंह के नाम 103–2 / 9 हिस्सा खातेदारी दर्ज है तथा चक 10 एसडीआर के खाता संख्या 50 / 53 के मुरब्बा न0 14 के किला न0 5 / 2, 6 / 2, 11, 12, 13 / 2, 14 / 3, 18 / 2, 19 ता 22 मुरब्बा न0 15 के किला न0 16 ता 18, 23 ता 25 कुल 2.253 है0 नहरी में प्रतिवादी हरिसिंह के नाम 83–7 / 9 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा मलाराम की खातेदारी हुआ करती थी। मलाराम के देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी हरिसिंह ने कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी हरिसिंह ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है

जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी हरिसिंह के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 हरिसिंह को वादी के दादा मलाराम से विरासतन प्राप्त हुई है। जो चक 9 एसडीआर सम्वत 2054 खाता संख्या 51/44, चक 10 एसडीआर सम्वत 2054 खाता संख्या 45/42 व चक 8 एसडीआर सम्वत 2054–57 खाता संख्या 79/75 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

उक्त वाद भूमि बाबत सभी पक्षकारानों में पारिवारिक समझौता किया हुआ है। प्रतिवादिया संख्या 3 ता 6 वादी की बहिन है, जिन्होंने अपना हक व हिस्सा की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के हक में हिस्सा तर्क किया हुआ है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी भागीरथ पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी सरदारपुराबास के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबंदी चक 8 एसडीआर सम्वत 2074–77 प्रदर्श 1, चक 10 एसडीआर सम्वत 2074–77 प्रदर्श 2, चक 9 एसडीआर सम्वत 2074–77 प्रदर्श 3, चक 9 एसडीआर सम्वत 2054 प्रदर्श 4, चक 10 एसडीआर सम्वत 2054 प्रदर्श 5, चक 8 एसडीआर सम्वत 2054 प्रदर्श 6, सरपंच ग्राम पंचायत चिड़ियागांधी द्वारा जारी सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श 7 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुंए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद वादी ने रोही मौजा चक 8 एसडीआर के वर्तमान खाता संख्या 42/47 के मु0न0 66 के किला न0 6/1, 7, 8, 14 ता 17, 24, 25 मुरब्बा न0 69 के किला न0 5, 6, 15 कुल 2.505 है0 नहरी में प्रतिवादी हरिसिंह के नाम 93–1/2 हिस्सा व चक 9 एसडीआर के खाता संख्या 65/63 के मुरब्बा न0 3 के किला न0 21 ता 24, मुरब्बा न0 10 के किला न0 1 ता 4, 7 ता 10 कुल 2.758 है0 नहरी में प्रतिवादी हरिसिंह के नाम 103–2/9 हिस्सा खातेदारी दर्ज है तथा चक 10 एसडीआर के खाता संख्या 50/53 के मुरब्बा न0 14 के किला न0 5/2, 6/2, 11, 12, 13/2, 14/3, 18/2, 19 ता 22 मुरब्बा न0 15 के किला न0 16 ता 18, 23 ता 25 कुल 2.253 है0 नहरी में प्रतिवादी हरिसिंह के नाम 83–7/9 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 हरिसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 6 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। जिसे

राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 8 एसडीआर के वर्तमान खाता संख्या 42/47 के मु0न0 66 के किला न0 6/1, 7, 8, 14 ता 17, 24, 25 मुरब्बा न0 69 के किला न0 5, 6, 15 कुल 2.505 है0 नहरी में प्रतिवादी हरिसिंह के नाम 93–1/2 हिस्सा व चक 9 एसडीआर के खाता संख्या 65/63 के मुरब्बा न0 3 के किला न0 21 ता 24, मुरब्बा न0 10 के किला न0 1 ता 4, 7 ता 10 कुल 2.758 है0 नहरी में प्रतिवादी हरिसिंह के नाम 103–2/9 हिस्सा खातेदारी दर्ज है तथा चक 10 एसडीआर के खाता संख्या 50/53 के मुरब्बा न0 14 के किला न0 5/2, 6/2, 11, 12, 13/2, 14/3, 18/2, 19 ता 22 मुरब्बा न0 15 के किला न0 16 ता 18, 23 ता 25 कुल 2.253 है0 नहरी में प्रतिवादी हरिसिंह के नाम 83–7/9 हिस्सा में प्रतिवादी संख्या 1 हरिसिंह के नाम खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। **उसमें वादी भागीरथ व प्रतिवादी संख्या 1 हरिसिंह व प्रतिवादी संख्या 2 फुलादेवी को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 द्वारा त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादी सं 1,2को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17-09-20 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

अधिकारी (राजस्व) भादरा

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 – 24/2020(2020/00036)

अनवान : –

1. भागीरथ पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी सरदारपुराबास तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. हरिसिंह पुत्र मलाराम जाति जाट निवासी सरदारपुराबास तहसील भादरा।
2. फुलादेवी पत्नी हरिसिंह जाति जाट निवासी सरदारपुराबास तहसील भादरा।
3. शारदा पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी सरदारपुराबास तहसील भादरा।
4. संतोष पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी सरदारपुराबास तहसील भादरा।
5. राजबाला पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी सरदारपुराबास तहसील भादरा।
6. सुमन पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी सरदारपुराबास तहसील भादरा।
7. ओबीसी बैंक शाखा गांधीबड़ी जरिये शाखा प्रबंधक।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ जयसिंह चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुंशीराम गोस्वामी व वकील प्रतिवादी श्री सुरजीत बिजारणियां की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 8 एसडीआर के वर्तमान खाता संख्या 42/47 के मु0न0 66 के किला न0 6/1, 7, 8, 14 ता 17, 24, 25 मुरब्बा न0 69 के किला न0 5, 6, 15 कुल 2.505 है0 नहरी में प्रतिवादी हरिसिंह के नाम 93–1/2 हिस्सा व चक 9 एसडीआर के खाता संख्या 65/63 के मुरब्बा न0 3 के किला न0 21 ता 24, मुरब्बा न0 10 के किला न0 1 ता 4, 7 ता 10 कुल 2.758 है0 नहरी में प्रतिवादी हरिसिंह के नाम 103–2/9 हिस्सा खातेदारी दर्ज है तथा चक 10 एसडीआर के खाता संख्या 50/53 के मुरब्बा न0 14 के किला न0 5/2, 6/2, 11, 12, 13/2, 14/3, 18/2, 19 ता 22 मुरब्बा न0 15 के किला न0 16 ता 18, 23 ता 25 कुल 2.253 है0 नहरी में प्रतिवादी हरिसिंह के नाम 83–7/9 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 हरिसिंह के नाम खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। **उसमें वादी भागीरथ व प्रतिवादी संख्या 1 हरिसिंह व प्रतिवादी संख्या 2 फुलादेवी को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** प्रतिवादी संख्या 3 ता 6 द्वारा त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी व प्रतिवादी सं 1,2 को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17-09-20 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(जयसिंह)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) (जिला–हनुमानगढ़)